

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-276761.

सेवा में,

पत्रांक- 880 / FP/UK/ROAD/37687/2018 : देहरादून: दिनांक- 28 सितम्बर, 2022

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,  
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत राईआगर-चौडमन्या मोटर मार्ग के कि०मी० 3.20 से कोटेश्वर-चचरेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.385 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी० /०६/९६/2020/एफ०सी०/2527 दि 26.03.2021।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-804/12-1 (2) दिनांक 07.09.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

| क्र०सं० | सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अनुपालन आख्या (उत्तर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3       | प्रतिपूरक वनीकरण<br>(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.77 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम कोटेश्वर खसरा संख्या 16,31,36,37,41,180,182,274,305, 494,715,717,718,720,729,735,801,868,889,890,905,906,931,949,1110,1114, 1226,1269 12851306, 1315,1316, 1321, 1324,1396, 1315, 1496, 1634, 1635, 1636, 1673, 1686, 1697,1707,1814,185 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।<br>(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।<br>(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार विभाग द्वारा उक्त चयनित प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र में ही वनीकरण किया जाएगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा व मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा।<br>वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1196/7-32/2021-22 दिनांक 25.04.2022 द्वारा 4.77 हे० राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। उक्त क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।<br>वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। |

57/



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि वाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई0डी0 W03801422901221000 date 25-01-2022) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। वाउचर की हार्ड कापी संलग्न कर प्रेषित है।                                                                                                     |
| 5  | शुद्ध वर्तमान मूल्य-<br>(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.385 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।<br>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार शर्त संख्या-5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि वाउचर संख्या 48 दिनांक 27.01.2022 (आई0डी0 W03801422901221000 date 25-01-2022) द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। वाउचर की हार्ड संलग्न कर प्रेषित है।<br>वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। |
| 6  | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 244 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमित साइनेज लगाए जाएंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



अनुमात्र 5

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के विरुद्ध अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मान्य है।<br>वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। |
| 16 | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आरंशीरशी० गिलरों द्वारा सीमांकन किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 17 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 18 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 19 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 20 | इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 21 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 23 | यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |
| 24 | अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) पर अपलोड की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।              |

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।  
संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)  
अपर प्रमुख वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या- 880 / FPUK/ROAD/37687/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-804/12-1 (2) दिनांक 07.09.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. वरिष्ठ आवासीय अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग।

(एस0एस0 रसाईली)  
अपर प्रमुख वन संरक्षण  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

9/11